# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 8/2024 दायर दिनॉक 09.01.2024

| वादी | | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. नन्दसिंह पुत्र मांगीलाल सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी छोटी खाटू तहसील छोटी खाटू, जिला डीडवाना–कुचामन। | बनाम् | 1. तहसीलदार छोटी खाटू।<br>2. एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा मकराना। |

**राजस्व–वाद बाबत्**
**रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.**

**उपस्थितः–**

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी एडवोकेट वादी।

**–:: निर्णय ::–**

दिनॉक 31.12.2024

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी का खेत मौजा खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 2093/533 रकबा 2.5500 हैक्टे0 बारानी उत्तम में मेरा कब्जा काश्त हक अधिकार है। जिसमें मेरा नाम गलती से नन्दकिशोर पुत्र मांगीलाल दर्ज हो गया जबकि मेरा सही नाम नन्द सिंह सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह है। जो मेरे सभी सरकारी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा मतदाता पहचान इत्यादि में मेरा नाम नन्द सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह दर्ज है जो सही है।

**वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–**

अतः नन्द किशोर पुत्र मांगीलाल के स्थान पर नन्द सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि करवाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटी खाटू के पत्र क्रमांक/भू0अ0/2024/1187 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॅार्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। तहसीलदार छोटी खाटू की रिपोर्ट व दस्तावेजो के अनुसार खसरा सं0 2093/533 रकबा 2.55 हैक्टे0 वाकै सरहद खाटू खुर्द में नन्दकिशोर पुत्र मांगीलाल के स्थान पर नन्द सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना सही है। अतः बाद विवेचन, राजस्व वाद, वादी का डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.02.17 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested

## –:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर मौजा खाटू खुर्द के खेत खसरा नं0 2093 रकबा 2.5500 हैक्टे0 में वादी का नाम नन्दकिशोर पुत्र मांगीलाल के स्थान पर नन्द सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह दुरूस्त किया जाता है।

तहसीलदार छोटी खाटू की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक / भू0अ0 / 2024 / 1187 दिनांक 09.12.2024 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 31.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.02.17 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
## (आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
## अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
## वइजलास : पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 8/2024 दायर दिनाँक 09.01.2024

| वादी | | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. नन्दसिंह पुत्र मांगीलाल सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी छोटी खाटू तहसील छोटी खाटू, जिला डीडवाना–कुचामन। | बनाम् | 1. तहसीलदार छोटी खाटू। 2. एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा मकराना। |

**राजस्व–वाद बाबत्**
**रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.**

दिनाँक 31.12.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर मौजा खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 2093 रकबा 2.5500 हैक्टे0 में वादी का नाम नन्दकिशोर पुत्र मांगीलाल के स्थान पर नन्द सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह दुरूस्त किया जाता है।

तहसीलदार छोटी खाटू की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक/भू0अ0/2024/1187 दिनांक 09.12.2024 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बावत.....................–................

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 31.12.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

| मुददई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बावत इजराय<br>हुकमनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>–<br>– | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बावत इजराय<br>हुकमनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.02.17 11:35:42 IST
Reason: SelfAttested